रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 101] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 5, 1974/फाल्गुन 14, 1895
No. 101] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 5, 1974/PHALGUNA 14, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March 1974

S.O 144(E).—Whereas the Central Government is satisfied that in relation to the textile undertaking known as Shri Vikram Cotton Mills, Lucknow (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing the fall in the volume of production of the textile industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the Sick Textile Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1972 (72 of 1972), the Central Government hereby declares that the operation of all the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of this notification to which the said industrial undertaking or the company owning such undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year from such date and that all the rights, privileges, obligations and liabilities (except those relating to banks and financial institutions) accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

[No. F. 11021/151/72-NTC.]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1974

का० आ० 144(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि श्री विक्रम काटन मिल्स, लखनऊ के नाम से ज्ञात वस्त्र उपक्रम (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) के संबंध में वस्त्र-उद्योग के उत्पादन की मात्रा में कमी को रोकने की दृष्टि से जन-साधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, रुग्ण वस्त्र उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1972 (1972 का 72) की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित करती है कि इस अधिसूचना के जारी करने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति-हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थानों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों का, जिनकी उक्त औद्योगिक उपक्रम या ऐसे उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हो जाएं, प्रवर्तन ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि पर्यन्त निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उन के अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व (जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से सम्बद्ध हैं, उन के सिवाय) उक्त अवधि पर्यन्त निलम्बित रहेंगे ।

[सं० फा० 11021/151/72-एन टी सी]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974